

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी :- शिव मोहर सिंह)

मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा थाना कोतवाली जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	<u>अभियोजन</u>	Reg. No Sum . . 1160 ./2022 Fill. No Sum .3805 /2022 CNR.No-MP2801-00 45542022 Filling Date- 18 ./07 . . /2022
विरुद्ध		
अभियुक्त राजकुमार पिता नान्हेलाल चौरिया उम्र 29 साल निवासी हसनपुर थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा	<u>अभियुक्त</u>	

// निर्णय //

- (आज दिनांक 18/07/2022 को घोषित किया गया)
1. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 (01 शीर्ष) भा.द.वि., धारा 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन दंडनीय पृष्ठांकित विशिष्टियों का आरोप है।
2. अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गयी अपराध की स्वीकारोक्ति के प्रकाश में उसे 279, 337 भा.द.वि., धारा 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
3. प्रकरण की सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 279, भा0द0वि0 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु रुपये 1000/- शब्दों में एक हजार रुपये धारा 337 भा0द0वि0 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु रुपये 500./- शब्दों में पाच सौ रुपये धारा 146/196 मोटर यान अधि0 के दंडनीय अपराध हेतु रुपये 1000/- शब्दों में एक हजार रुपये कुल 2500/- शब्दों में दो हजार पाच सौ रुपये से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के भुगतान के व्यतिक्रम में उस 20 दिन का साधारण कारावास भुगताया जाए।
- 4- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल कमांक एम पी 28 एम.एच 6476 पंजीकृत स्वामी को प्रदान करें।

मेरे आलेख पर टंकित कर मुद्रित किया गया।

(शिवमोहर सिंह)
मुख्य न्या0 मजिस्ट्रेट,
छिंदवाड़ा, म.प्र.

(शिवमोहर सिंह)
मुख्य न्या0 मजिस्ट्रेट
छिंदवाड़ा, म.प्र.